बिहार सरकार (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं.– 1/अनु0 जा0/ज0जा0(परी0शु0)–15–66–01/2012– 148

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार ,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पटना ।

पटना, दिनांक 13.03.18

विषय: **वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उपबंधित राशि से अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की बकाये एवं वर्तमान वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध राशि में से अनु0जाति के लिए ₹80.00 लाख एवं अनु0 जनजाति के लिए ₹5.00 लाख अर्थात कुल ₹85.00 लाख (पचासी लाख ) मात्र का आवंटन ।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को परीक्षा शुल्क से दी गई छूट के फलस्वरूप संस्थाओं को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु बकाये एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपलब्ध राशि में से अनु0जाति के लिए ₹80.00 लाख एवं अनु0 जनजाति के लिए ₹5.00 लाख अर्थात कुल ₹85.00 लाख (पचासी लाख) मात्र की राशि की स्वीकृति पत्रांक–44 दिनांक–12.07..2017 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में कुल ₹85.00 लाख (पचासी लाख ) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2– (क) अनु0 जाति के लिए ₹80.00 लाख स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के आय–व्ययक मुख्य शीर्ष –2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियो का कल्याण– लघु शीर्ष–277–शिक्षा–मांग संख्या–44–उपशीर्ष–0011–छात्रवृति और वृतियां– विषय शीर्ष–0011.34.01–छात्रवृति/वजीफा विपत्र कोड–44–2225012770011

(ख) अनु0 जनजाति के लिए ₹5.00 लाख स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के आय–व्ययक मुख्य शीर्ष –2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– उपमुख्य शीर्ष –02–अनुसूचित जनजातियो का कल्याण–लघु शीर्ष –277 –शिक्षा–मांग संख्या–44– उपशीर्ष –0001–छात्रवृति और वृतियां– विषय शीर्ष –0001.34.01–छात्रवृति/वजीफा विपत्र कोड–44–2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3 – इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे।

4– इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पटना होंगे।

5– जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। वे पूर्व में आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उससे संतुष्ट होकर तथा मांग की जांच करने के पश्चात ही राशि विमुक्त करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

6– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

7– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक– सं.– 1/अनु0 जा0/ज0जा0 (परी0शु0)–15–66–01/2012– 148 पटना–15, दिनांक– 13.03.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार,बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना /प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना /सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ आई0 टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–1 निदेशालय, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 13/3/18

Sanction-reim. of exam.fee-14-15